रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 2009/अग्रहायण 24, 1931

No. 247] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2009/AGRAHAYANA 24, 1931

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2009

सं. भा.आ.प.-12(2)/2009-मेडि-विविध/56925.- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, **"चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998"** में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

1. (i) इन विनियमों को "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 2009 – भाग-III" कहा जाए।

   (ii) वे सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में निम्नलिखित **परिवर्धन/ संशोधन/ विलोप/ प्रतिस्थापन** दर्शाए जाएंगे:—

3 (क) "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 2009" के अंतर्गत यथासंशोधित विनियमावली को "प्रोफेसर" शीर्षक के अंतर्गत खंड 4(क) में, खंड 4(क)(ii) में निम्नलिखित परंतुक जोड़कर संशोधित किया जाए:—

"बशर्ते कि संबंधित विशेषताओं वाली राष्ट्रीय एसोसिएशनों/ सोसाइटियों द्वारा जर्नलों में प्रकाशित/ पहले लेखक के रूप में प्रकाशन **हेतु ये** अनुसंधान प्रकाशन, **स्वीकृत किये गये हों**। पुनः बशर्ते कि प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु 4 अनुसंधान प्रकाशनों की शर्त संचयी आधार पर मानी जानी चाहिए। इसके साथ कम से कम दो अनुसंधान प्रकाशन एसोसिएट प्रोफेसर के कार्यकाल के दौरान प्रकाशित किए जाने चाहिए।

पुनः बशर्ते कि 24 जुलाई, 2009 से चार वर्ष की पारगमन अवधि के लिए, प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति/ पदोन्नति, "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 2009" की अधिसूचना से पहले लागू "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" के अनुसार संस्थानों द्वारा की जा सकती है।"

(ख) "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 2009" के अंतर्गत यथासंशोधित विनियमावली को "एसोसिएट प्रोफेसर" शीर्षक के अंतर्गत खंड 4(ख) में, खंड 4(ख)(ii) में निम्नलिखित परंतुक जोड़कर संशोधित किया जाए:–

"बशर्ते कि संबंधित विशेषताओं वाली राष्ट्रीय एसोसिएशनों/ सोसाइटियों द्वारा जर्नलों में प्रकाशित/ पहले लेखक के रूप में प्रकाशन **हेतु ये** अनुसंधान प्रकाशन, **स्वीकृत किये गये हों**। पुनः बशर्ते कि एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु 2 अनुसंधान प्रकाशनों की शर्त पूरी की जानी चाहिए। इसके साथ कम से कम दो अनुसंधान प्रकाशन सहायक प्रोफेसर के कार्यकाल के दौरान प्रकाशित किए जाने चाहिए।

पुनः बशर्ते कि 24 जुलाई, 2009 से पांच वर्ष की पारगमन अवधि के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति/ पदोन्नति, "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 2009" की अधिसूचना से पहले लागू "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" के अनुसार संस्थानों द्वारा की जा सकती है।"

4(क) "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 2009" के अंतर्गत यथासंशोधित विनियमावली को "प्रोफेसर" शीर्षक के अंतर्गत खंड 5(क) में, खंड 5(क)(ii) में निम्नलिखित परंतुक जोड़कर संशोधित किया जाए:–

"बशर्ते कि संबंधित विशेषताओं वाली राष्ट्रीय एसोसिएशनों/ सोसाइटियों द्वारा जर्नलों में प्रकाशित/ पहले लेखक के रूप में प्रकाशन **हेतु ये अनुसंधान** प्रकाशन, **स्वीकृत किये गये हों**। पुनः बशर्ते कि प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु 4 अनुसंधान प्रकाशनों की शर्त संचयी आधार पर मानी जानी चाहिए। इसके साथ कम से कम दो अनुसंधान प्रकाशन एसोसिएट प्रोफेसर के कार्यकाल के दौरान प्रकाशित किए जाने चाहिए।

पुनः बशर्ते कि 24 जुलाई, 2009 से चार वर्ष की पारगमन अवधि के लिए, प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति/ पदोन्नति, "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 2009" की अधिसूचना से पहले लागू "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" के अनुसार संस्थानों द्वारा की जा सकती है।"

(ख) "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 2009" के अंतर्गत यथासंशोधित विनियमावली को "एसोसिएट प्रोफेसर" शीर्षक के अंतर्गत खंड 5(ख) में, खंड 5(ख)(ii) में निम्नलिखित परंतुक जोड़कर संशोधित किया जाए:–

"बशर्ते कि संबंधित विशेषताओं वाली राष्ट्रीय एसोसिएशनों/ सोसाइटियों द्वारा जर्नलों में प्रकाशित/ पहले लेखक के रूप में प्रकाशन **हेतु ये** अनुसंधान प्रकाशन, **स्वीकृत किये गये हों**। पुनः बशर्ते कि एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु 2 अनुसंधान प्रकाशनों की शर्त पूरी की जानी चाहिए। इसके साथ कम से कम दो अनुसंधान प्रकाशन सहायक प्रोफेसर के कार्यकाल के दौरान प्रकाशित किए जाने चाहिए।

पुनः बशर्ते कि 24 जुलाई, 2009 से पांच वर्ष की पारगमन अवधि के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति/ पदोन्नति, "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 2009" की अधिसूचना से पहले लागू "चिकित्सा

संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" के अनुसार संस्थानों द्वारा की जा सकती है।"

5(क) "अकादमिक शैक्षिक योग्यता, अध्यापन और अनुसंधान अनुभव की शर्त" शीर्षक के अंतर्गत सारणी–1 में "दंत चिकित्सा" विषय के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:–

"(I) एम.डी. (आपातकालीन मेडिसिन)

(क)	प्रोफेसर	एम.डी. (जनरल मेडिसिन) 2 वर्ष के प्रशिक्षण सहित एम.एस. (जनरल सर्जरी) } एम.डी. (श्वसन मेडिसिन) } आपातकालीन मेडिसिन में एम.डी. (संचेतनाहरण) } एम.एस. (विकलांग--विज्ञान) }
(ख)	रीडर	— वही —
(ग)	सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता	— वही —
(घ)	ट्युटर/ प्रदर्शक/ रेजिडेंट/ रजिस्ट्रार	एम.बी.बी.एस

टिप्पणी: ऊपर दर्शाई गई अकादमिक शैक्षिक योग्यता को अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए अध्यापन संकाय के पद हेतु आवश्यक अकादमिक शैक्षिक योग्यता माना जाएगा। इस बात को दोहराया जाता है कि केवल एम.डी. (आपातकालीन मेडिसिन) की अकादमिक शैक्षिक योग्यता, अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात अध्यापन संकाय के पद के लिए नियुक्ति हेतु आवश्यक अकादमिक शैक्षिक योग्यता होगी।"

"(I) एम.डी. (संक्रामक रोग)

(क)	प्रोफेसर	एम.डी. (मेडिसिन) ट्रॉपिकल मेडिसिन में डिप्लोमा सहित एम.डी. (कम्युनिटी मेडिसिन)}

एम.डी. (मेडिसिन) } संक्रामक रोग में दो वर्ष के प्रशिक्षण
एम.डी. (बालरोग) } सहित
(ख) रीडर —— वही ——

(ख) रीडर —— वही ——
(ग) सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता —— वही ——
(घ) ट्युटर/ प्रदर्शक/ रेजिडेंट/ रजिस्ट्रार एम.बी.बी.एस

टिप्पणीः ऊपर दर्शाई गई अकादमिक शैक्षिक योग्यता को अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए अध्यापन संकाय के पद हेतु आवश्यक अकादमिक शैक्षिक योग्यता माना जाएगा। इस बात को दोहराया जाता है कि केवल एम.डी. (संक्रामक रोग) की अकादमिक शैक्षिक योग्यता, अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात अध्यापन संकाय के पद के लिए नियुक्ति हेतु आवश्यक अकादमिक शैक्षिक योग्यता होगी।"

(ख) "अति–विशेषज्ञता वाले अध्यापकों के लिए विशेष अकादमिक शैक्षिक योग्यता और अध्यापन/ अनुसंधान अनुभव की शर्तें" शीर्षक के अंतर्गत सारणी–2 में "सर्जिकल नेत्रविज्ञान" विषय के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगाः–

"(I) डी.एम. (फुफ्फुसश्वासी–रोग मेडिसिन)

(क) प्रोफेसर डी.एम. (फुफ्फुसश्वासी–रोग मेडिसिन)
एम.डी. (श्वसनी मेडिसिन)
एम.डी. (जनरल मेडिसिन) } फुफ्फुसश्वासी–रोग मेडिसिन
एम.डी. (बालरोग) } में 2 वर्ष के विशेष
एम.एस. (विकलांग–विज्ञान) } प्रशिक्षण सहित

(ख) रीडर —— वही ——
(ग) सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता —— वही ——

4576GI/09-2

(घ) ट्युटर/ प्रदर्शक/ रेजिडेंट/ रजिस्ट्रार — एम.बी.बी.एस

टिप्पणी: ऊपर दर्शाई गई अकादमिक शैक्षिक योग्यता को अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए अध्यापन संकाय के पद हेतु आवश्यक अकादमिक शैक्षिक योग्यता माना जाएगा। इस बात को दोहराया जाता है कि केवल डी.एम. (फुफ्फुसश्वासी–रोग मेडिसिन) की अकादमिक शैक्षिक योग्यता, अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात अध्यापन संकाय के पद के लिए नियुक्ति हेतु आवश्यक अकादमिक शैक्षिक योग्यता होगी।"

"(II) डी.एम. (संधिवातीयरोग–विज्ञान)

(क)	प्रोफेसर	डी.एम. (जनरल मेडिसिन) एम.डी. (बालरोग) एम.डी. (पीएमआर)	} संधिवातीयरोग–विज्ञान में } दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण } सहित
(ख)	रीडर	— वही —	
(ग)	सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता	— वही —	
(घ)	ट्युटर/ प्रदर्शक/ रेजिडेंट/ रजिस्ट्रार	एम.बी.बी.एस	

टिप्पणी: ऊपर दर्शाई गई अकादमिक शैक्षिक योग्यता को अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए अध्यापन संकाय के पद हेतु आवश्यक अकादमिक शैक्षिक योग्यता माना जाएगा। इस बात को दोहराया जाता है कि केवल डी.एम. (संधिवातीयरोग–विज्ञान) की अकादमिक शैक्षिक योग्यता, अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात अध्यापन संकाय के पद के लिए नियुक्ति हेतु आवश्यक अकादमिक शैक्षिक योग्यता होगी।"

"(III) डी.एम. (बाल किशोर मनोरोगविज्ञान)

(क)	प्रोफेसर	डी.एम. (मनोरोगविज्ञान)	बाल किशोर मनोरोगविज्ञान में 2 वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित
(ख)	रीडर	— वही —	
(ग)	सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता	— वही —	
(घ)	ट्युटर/ प्रदर्शक/ रेजिडेंट/ रजिस्ट्रार	एम.बी.बी.एस	

टिप्पणी: ऊपर दर्शाई गई अकादमिक शैक्षिक योग्यता को अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए अध्यापन संकाय के पद हेतु आवश्यक अकादमिक शैक्षिक योग्यता माना जाएगा। इस बात को दोहराया जाता है कि केवल डी.एम. (बाल किशोर मनोरोगविज्ञान) की अकादमिक शैक्षिक योग्यता, अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात अध्यापन संकाय के पद के लिए नियुक्ति हेतु आवश्यक अकादमिक शैक्षिक योग्यता होगी।"

"(IV) डी.एम. (बालचिकित्सा जठर–शोथ विज्ञान)

(क)	प्रोफेसर	डी.एम. (जठर–शोथ विज्ञान) एम.डी. (बालचिकित्सा)	} जठर–शोथविज्ञान में 2 } वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित
(ख)	रीडर	— वही —	
(ग)	सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता	— वही —	
(घ)	ट्युटर/ प्रदर्शक/ रेजिडेंट/ रजिस्ट्रार	एम.बी.बी.एस	

टिप्पणी: ऊपर दर्शाई गई अकादमिक शैक्षिक योग्यता को अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए अध्यापन संकाय के पद हेतु आवश्यक अकादमिक शैक्षिक योग्यता

माना जाएगा। इस बात को दोहराया जाता है कि केवल डी.एम. (बाल–चिकित्सा जठर–शोथ विज्ञान) की अकादमिक शैक्षिक योग्यता, अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात अध्यापन संकाय के पद के लिए नियुक्ति हेतु आवश्यक अकादमिक शैक्षिक योग्यता होगी।"

"(V) डी.एम. (बालचिकित्सा हृदयरोग–विज्ञान)

(क)	प्रोफेसर	डी.एम. (हृदयरोग–विज्ञान) } हृदय विज्ञान में 2 वर्ष एम.डी. (बालचिकित्सा) } के विशेष प्रशिक्षण सहित
(ख)	रीडर	— वही —
(ग)	सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता	— वही —
(घ)	ट्युटर/ प्रदर्शक/ रेजिडेंट/ रजिस्ट्रार	एम.बी.बी.एस

टिप्पणी: ऊपर दर्शाई गई अकादमिक शैक्षिक योग्यता को अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए अध्यापन संकाय के पद हेतु आवश्यक अकादमिक शैक्षिक योग्यता माना जाएगा। इस बात को दोहराया जाता है कि केवल डी.एम. (बाल–चिकित्सा हृदयरोग विज्ञान) की अकादमिक शैक्षिक योग्यता, अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात अध्यापन संकाय के पद के लिए नियुक्ति हेतु आवश्यक अकादमिक शैक्षिक योग्यता होगी।"

"(VI) डी.एम. (हृद संचेतना हरण)

(क)	प्रोफेसर	डी.एम. (संचेतना हरण विज्ञान)} हृद संचेतना हरण विज्ञान में एम.डी. (बालचिकित्सा) } 2 वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित
(ख)	रीडर	— वही —
(ग)	सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता	— वही —
(घ)	ट्युटर/ प्रदर्शक/ रेजिडेंट/ रजिस्ट्रार	एम.बी.बी.एस

टिप्पणी: ऊपर दर्शाई गई अकादमिक शैक्षिक योग्यता को अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए अध्यापन संकाय के पद हेतु आवश्यक अकादमिक शैक्षिक योग्यता माना जाएगा। इस बात को दोहराया जाता है कि केवल डी.एम. (हृद संचेतना हरण) की अकादमिक शैक्षिक योग्यता, अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात अध्यापन संकाय के पद के लिए नियुक्ति हेतु आवश्यक अकादमिक शैक्षिक योग्यता होगी।"

ले. क. (से.नि.) डॉ. ए.आर.एन. सीतलवाड, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./100/09]

पाद टिप्पणी : प्रधान नियमावली नामतः "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" को दिनांक 5 दिसम्बर, 1998 को भारत के गजट के भाग–III, धारा(4) में प्रकाशित किया गया था और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 16.03.3005, 21.07.2009 और 28.10.2009 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

4576 GI/09-3

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2009

No. MCI-12(2)/2009-Med.Misc./56925.— In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations 1998", namely: -

1. (i) These Regulations may be called the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2009 - Part-III".
   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", the following **additions/modifications/deletions/ substitutions**, shall be, as indicated therein: -

3(a). In Clause 4(A) under the heading "Professor" as amended vide "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2009", be further amended by inserting the following proviso in 4(A)(ii) : -

"Provided that these research publications are published/accepted for publication in the Journals by the National Associations/Societies of the respective specialities as the First Author. Further provided that the requirement of 4 research publications for promotion to the post of Professor should be taken on cumulative basis with minimum of 2 research publications must be published during the tenure of the Associate Professor.

Further provided that for the transitory period of 4 years w.e.f. 24th July, 2009, the appointment/promotion to the post of Professor can be made by the institutes in accordance with the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" as prevailing before notification of "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2009".

(b). In Clause 4(B) under the heading "Associate Professor" as amended vide "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2009", be further amended by inserting the following proviso in 4(B)(ii) : -

"Provided that these research publications are published/accepted for publication in the Journals by the National Associations/Societies of the respective specialities as the First Author. Further provided that the requirement of 2 research publications for promotion to the post of Associate Professor should be fulfilled with 2 research publications must be published during the tenure of the Assistant Professor.

Further provided that for the transitory period of 5 years w.e.f. 24th July, 2009, the appointment/promotion to the post of Associate Professor can be made by the institutes in accordance with the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" as prevailing before notification of "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2009".

4(a). In Clause 5(A) under the heading "Professor" as amended vide "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2009", be further amended by inserting the following proviso in 5(A)(ii) : -

"Provided that these research publications are published/accepted for publication in the Journals by the National Associations/Societies of the respective specialities as the First Author. Further provided that the requirement of 4 research publications for promotion to the post of Professor should be taken on cumulative basis with minimum of 2 research publications must be published during the tenure of the Associate Professor.

Further provided that for the transitory period of 4 years w.e.f. 24th July, 2009, the appointment/promotion to the post of Professor can be made by the institutes in accordance with the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" as prevailing before notification of "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2009".

(b). In Clause 5(B) under the heading "Associate Professor" as amended vide "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2009", be further amended by inserting the following proviso in 5(B)(ii) : -

"Provided that these research publications are published/accepted for publication in the Journals by the National Associations/Societies of the respective specialities as the First Author. Further provided that the requirement of 2 research publications for promotion to the post of Associate Professor should be fulfilled with 2 research publications must be published during the tenure of the Assistant Professor.

Further provided that for the transitory period of 2 years w.e.f. 24th July, 2009, the appointment/promotion to the post of Associate Professor can be made by the institutes in accordance with the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" as prevailing before notification of "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2009".

5(a). In Table-1 under the heading "REQUIREMENTS OF ACADEMIC QUALIFICATIONS, TEACHING AND RESEARCH EXPERIENCE", after the subject of "DENTISTRY" the following **shall be added** : -

"(I) MD (Emergency Medicine)

(A)	Professor	M.D.(General Medicine)} with 2 years training M.S.(Genl.Surgery) } M.D. (Resp. Medi.) } in Emergency Medicine M.D.(Anaesthesia) } M.S. (Orthopaedics) }
(B)	Reader	-do-
(C)	Asstt. Prof./ Lecturer	-do-
(D)	Tutor/ Demonstrator/ Resident/ Registrar	MBBS

NOTE: The academic qualification as shown above will be the academic qualification required for teaching faculty post for a period of 10 years w.e.f. date of notification. It is reiterated that only the academic qualification of MD (Emergency Medicine) will be the required academic qualification for appointment to the post of teaching faculty after the expiry of the period of 10 years from the date of notification.

(II) MD (Infectious Disease)

(A)	Professor	M.D. (Medicine) with Diploma in Tropical Medicine M.D.(Community Medicine) } with 2 years M.D. (Medicine) }special training in M.D (Paediatrics) Infectious Disease
(B)	Reader	-do-
(C)	Asstt. Prof./ Lecturer	-do-
(D)	Tutor/ Demonstrator/ Resident/ Registrar	MBBS

NOTE: The academic qualification as shown above will be the academic qualification required for teaching faculty post for a period of 10 years w.e.f. date of notification. It is reiterated that only the academic qualification of MD (Infectious Disease) will be the required academic qualification for appointment to the post of teaching faculty after the expiry of the period of 10 years from the date of notification."

(b). In Table-2 under the heading "REQUIREMENT OF SPECIAL ACADEMIC QUALIFICATION AND TEACHING/RESEARCH EXPERIENCE FOR SUPERSPECIALITY TEACHERS", after the subject of "SURGICAL ONCOLOGY" the following **shall be added** : -

"(I) D.M.(Pulmonary Medicine)

(A)	Professor	D.M.(Pulmonary Medicine) M.D.(Respiratory Medicine) M.D.(Genl.Medicine) M.D.(Paediatrics)	 }with 2 yrs. }special training }in Pulmonary Medicine
(B)	Reader	-do-	
(C)	Asstt. Prof./ Lecturer	-do-	
(D)	Tutor/ Demonstrator/ Resident/ Registrar	MBBS	

NOTE:The academic qualification as shown above will be the academic qualification required for teaching faculty post for a period of 10 years w.e.f. date of notification. It is reiterated that only the academic qualification of D.M.(Pulmonary Medicine) will be the required academic qualification for appointment to the post of teaching faculty after the expiry of the period of 10 years from the date of notification.

(II) D.M.(Rheumatology)

(A)	Professor	M.D.(Genl.Medicine) M.D.(Paediatrics) M.D.(PMR)	}with 2 years }special training in }Rheumatology
(B)	Reader	-do-	
(C)	Asstt. Prof./ Lecturer	-do-	
(D)	Tutor/ Demonstrator/ Resident/ Registrar	MBBS	

NOTE:The academic qualification as shown above will be the academic qualification required for teaching faculty post for a period of 10 years w.e.f. date of notification. It is reiterated that only the academic qualification of D.M.(Rheumatology) will be the required academic qualification for appointment to the post of teaching faculty after the expiry of the period of 10 years from the date of notification.

(III) D.M.(Child Adolescent Psychiatry)

(A)	Professor	M.D.(Psychiatry) with 2 years special training in Child Adolescent Psychiatry
(B)	Reader	-do-
(C)	Asstt. Prof./ Lecturer	-do-
(D)	Tutor/ Demonstrator/ Resident/ Registrar	MBBS

NOTE: The academic qualification as shown above will be the academic qualification required for teaching faculty post for a period of 10 years w.e.f. date of notification. It is reiterated that only the academic qualification of D.M.(Child Adolescent Psychiatry) will be the required academic qualification for appointment to the post of teaching faculty after the expiry of the period of 10 years from the date of notification.

(IV) D.M. (Paediatric Gastroenterology)

(A)	Professor	D.M.(Gastroenterology) M.D.(Paediatrics) with 2 years special training in Gastroenterology
(B)	Reader	-do-
(C)	Asstt. Prof./ Lecturer	-do-
(D)	Tutor/ Demonstrator/ Resident/ Registrar	MBBS

NOTE: The academic qualification as shown above will be the academic qualification required for teaching faculty post for a period of 10 years w.e.f. date of notification. It is reiterated that only the academic qualification of D.M. (Paediatric Gastroenterology) will be the required academic qualification for appointment to the post of teaching faculty after the expiry of the period of 10 years from the date of notification.

(V) D.M. (Paediatric Cardiology)

(A)	Professor	D.M.(Cardiology) M.D.(Paediatrics) with 2 years special training in Cardiology
(B)	Reader	-do-
(C)	Asstt. Prof./ Lecturer	-do-
(D)	Tutor/ Demonstrator/ Resident/ Registrar	MBBS

NOTE: The academic qualification as shown above will be the academic qualification required for teaching faculty post for a period of 10 years w.e.f. date of notification. It is reiterated that only the academic qualification of D.M. (Paediatric Cardiology) will be the required academic qualification for appointment to the post of teaching faculty after the expiry of the period of 10 years from the date of notification.

(VI) D.M. (Cardiac Anaesthesia)

(A)	Professor	M.D.(Anaesthesiology) with 2 years special training in Cardiac Anaesthesiology
(B)	Reader	-do-
(C)	Asstt. Prof./ Lecturer	-do-
(D)	Tutor/ Demonstrator/ Resident/ Registrar	MBBS

NOTE: The academic qualification as shown above will be the academic qualification required for teaching faculty post for a period of 10 years w.e.f. date of notification. It is reiterated that only the academic qualification of D.M. (Cardiac Anaesthesia) will be the required academic qualification for appointment to the post of teaching faculty after the expiry of the period of 10 years from the date of notification."

Lt. Col. (Retd.) Dr. A.R.N. SETALVAD, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./100/09]

Foot Note: The Principal Regulations namely, "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations 1998" were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India on the 5th December, 1998, and amended vide MCI notification dated 16/03/2005, dated 21/07/2009 and dated 28/10/2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.